भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हिमाचल प्रदेश HIMACHAL PRADESH

08AA 897819

Attached with copy of exchange deed No. 461 dt. 30.6.2015

Sub-Registrar
Kasauli Distt Solan (HP)
13/8/2015

Sr. No. 8725 Dt. 13/1/15 Issued Gundev Sin.
S/o Ram P. ... Shukla
Tel ...
N/s Worth Rs. 10 ... copy paid

D.D. Sharma
Stamp Vendor
Civil Court, Kasauli

(461)

1627147   2003

15

रक्त बही संख्या-I

इन्द्राजों की

मामले की म और रजिस्ट्री शुल्क और प्रा

न0 दस्तावेज

दस्तावेज

मूल्य

रजिस्ट्री फी

फीस नकल शब्दों की

फीस अनुव

फीस कमी

R.C. Rajnhari 30/6/05

किमत भूमि	अस्टाम्प	किताअस्टाम्प	सतर 93
1,15,920/-	9,300/-	आठ	हरुफ 930

:- 5,000/-एक,1,000/-चार,100/-तीन

रकबा :- 3-3 बीघा

++

/ विनिमय विलेख---तबादला नामा /

यह कि विनिमय विलेख-तबादलानामा विलेख आज दिनाक:-- 30 जून सन 2005 को मैसर्ज एच0पी0एल0 प्रोटैक्शन टेक्नोलोजी प्रा0 लि0 बजरीया इसके ~~--~~ अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता सी0जी0 पुरी पुत्र श्री एस0 पी0 गोस्वामी नि0 जी0एच0- ~~प/39 अपार्टमैन्ट पश्चिम विहार नई दिल्ली~~ / जिसे पहला पक्ष कहा गया है / प्रथम पक्ष तथा मैसर्ज हिमाचल ऐनरजी प्रा0 लि0 बजरीया इसके डारेक्टर श्री ~~प्रवीन~~ अधनव पुत्र ------ श्री भीम सैन . निवासी 35 सुन्दर नगर नई दिल्ली/ जिसे इसके उपरान्त द्वितीय पक्ष कहा गया है ।

यह कि प्रथम पक्ष भूमि खेवट/खतौनी न0 8/9 खसरा न0 132/70 मे से खसरा न0 132/70/1 रकबा तदादी 1 बीघा व 09 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 134/71 में से

07-डी.एल.आर./04-6

Certified To Be A True Copy

Sub Registrar Kasauli
13/1/2018

परकाश

नान जुडिशियल स्टाम्पस/पपरज मालयती
रु. 1300/- किता 2 संलग्न
विक्रेता

पंजीकार,
तहसील कसौली, जिला सोलन (हि.प्र.)
30/6/05

अनु.
दिनांक 30-6-05 .... तदानुसार
शाका संवत 1926 को 4 तथा
5 बजे के मध्य :: मैसर्स
पोटेंशियल टेक्नोलॉजी प्रा. लि.
द्वारा नई दिल्ली में पंजीकरण
हेतु उप-पंजीकार, कसौली के कार्यालय में
प्रस्तुत किया।

पंजीकार,
तहसील कसौली, जिला सोलन (हि.प्र.)
30/6/05

	व तफसील			

No 1627148 2003 Himachal Government Judicial Paper

134/71/1 रकवा तदादी 06 वीघा व 14 विस्वा कुल किते 2 रकवा तदादी 08 वीघा व 03 विस्वा वाक्या मौजा शेवला, परगना बासल, तहसील कसौली, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश का वाहिद मालिक तथा काबिज है जोकि प्रथम पक्ष ने हिमाचल प्रदेश सरकार की ईजाजत ईकाई स्थापित करने हेतू प्राप्त करने के उपरान्त अराजी उपरोक्त को बजरीया बैयनामा नम्बर 532 तारीख 06-11-2003 के खरीद किया है। जोकि अराजी हर प्रकार से साफ व पाक है ; तथा द्वितीय पक्ष भूमि खसरा न0 132/70/2 रकवा तदादी 08 वीघा व 03 विस्वा वाक्या शेवला परगना बासल, तहसील कसौली जिला सोलन हि0प्र0 के वाहिद मालिक तथा काबिज है, उपरोक्त अराजी को द्वितीय पक्ष ने ~~प्रथम पक्ष से ही~~ बजरीया वसीका बैयनामा नम्बर 531 तारीख पँजीकरण 6-11-2003 कार्यालय उप-पँजीकार कसौली द्वारा ही खरीद किया है, जिसका ईन्द्राज कागजात माल में अमल करवा दिया है, जैसा कि नकल जमाबन्दी साल 2000-2001 में दर्शाया गया सलग्न है; जिसको खरीद करने की ईजाजत हिमाचल प्रदेश सरकार से द्वितीय पक्ष ने बाबत औद्योगिक ईकाई

Certified To Be A True Copy

Sub Registrar Kasauli
13/1/215

यह प्रलेख निष्पादक / प्रापकत्ता बाबत

श्री मैसर्स एच.पी. एस. फाउंडेशन इंडिया प्रा. ली. नई दिल्ली

को पूर्ण [illegible] पढ़कर सुनाया व समझाया गया

जो कि [illegible] सही स्वीकार करता / करते हैं

पूर्ण या आंशिक [illegible] ...... —

रुपए की भुगतान [illegible] किया गया।

निष्पादक / निष्पादकों की पहचान श्री जय किशन निगम s/o .... निवासी

Gaziabad तहसील ... Kasauli

करते हैं जोकि व्यक्तिगत रूप से मुझ से परिचित हैं। अतः यह प्रलेख पंजीकृत हो।

उप-पंजीकार,
अर्कगीत कसौली, जिला सोलन (हि.प्र.)
20/6/05

क्रेता

साक्षी नं 1

साक्षी नं 2

विक्रेता

उप-पंजीकार,
अर्कगीत कसौली, जिला सोलन (हि.प्र.)
20/6/05

त बही संख्या-I

इन्द्राजों की मामले की और रजिस्ट्री शुल्क और

नं0 दस्तावे
दस्तावेज
मूल्य
रजिस्ट्री
फीस नक
शब्दों की
फीस ग्र
फीस क

स्थापित करने हेतू प्राप्त की है। इसका इन्द्राज भी कागजात माल में अमल हो चुका है, परन्तु उपरोक्त अराजी के नम्बर गल्त हो जाने के कारण दोनो पक्ष आपस में तबादला करना चहाते है अतः प्रथम पक्ष अपनी भूमि खसरा नम्बर 134/71/1 रकवा तदादी 06 वीघा व 14 विस्वा में से खसरा नम्बर 134/71/1/2 रकवा तदादी तीन वीघा व तीन विस्वा का तबादला द्वितीय पक्ष की भूमि खसरा नम्बर 132/70/2 रकवा 8-3 वीघा में से खसरा नम्बर 132/70/2/2 रकवा तदादी 03 वीघा व 03 विस्वा जिसका ततीमा भूमि सलग्ँन है, वाक्या शेवला परगना वासल तहसील कसौली, जिला सोलन हि0प्र0 के साथ करता है तथा द्वितीय पक्ष भी अपनी भूमि उपरोक्त 03-03 वीघा का तबादला प्रथम पक्ष की भूमि 03-03 वीघा उपरोक्त से करता है, जिसके ततीमें सलग्ँन है।

यह कि उपरोक्त अराजी का तबादला करने के लिये द्वितीय पक्ष ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वितायुक्त एवम् सचिव राजस्व के पत्र सँख्या रा0वी0एफ0/10/308/2003 तारीख

Certified To Be A True Copy
Sub Registrar Kasauli
13/12/15

I

II

पंजीकृत

[illegible] धिकार,

[illegible] कसौली, जिला सोलन (हि.प्र.)

३०/६/०५

तफसाल

No. 1627150 2003 Himachal Government Judicial Paper

24-06-05 को द्वारा उप-सचिव राजस्व हिमाचल प्रदेश प्राप्त कर ली है जो कि सलग्ँन दोनो पत्रो की छाया प्रतियाँ है ।

यह कि दोनो पक्षो ने अपनी -2 भूमि का तबादला कर लिया है तथा आपस में कब्जा तबादला वाली भूमि का एक दुसरे के साथ तबदील कर लिया है ,विनिमय कर लिया है/प्राप्त कर लिया है अब उपरोक्त अराजी के तबादला का इन्तकाल दोनो पक्ष एक दुसरे के नाम करवाने के लिये पाबन्द रहेगें। यदि इस वसीका हजा की रूह से इन्तकाल तबादला एक दुसरे की गैर-हाजिरी व गैर-मौजुदगी में तसदीक हो जावे तो भी दोनो पक्षो को कोई एतराज किसी किस्म का नही होगा ।

यह कि इस विलेख वसीका हजा की रूह से दोनो पक्षो ने उपरोक्त अराजी जो कि तबादला में एक दुसरे को दी है, वह तमाम हक हकूक अधिकार जो भी दोनो पक्षो को है या होते हो जैसें, पथ, जल, वायु प्रकाश सुख भोग अधिकार, आबपाशी, आबनौशी, आबादी का अधिकार, तथा अन्य तमाम हक हकूक अधिकार अब वह तमाम तबादला में एक दुसरे को आई भूमि पर हासिल होगें, जिनको कि उपरोक्त अराजी को बैय

Certified To Be A True Copy

Sub Registrar Kasauli
13/1/2015

पं.नौक्र.

[illegible],
[illegible], जिल्हा सोलापूर (हि.प.)
30/6/05

| | तफसील | | |

No.1627151 2003 Himachal Government Judicial Paper

करने, रैहन करने, हिब्बा-करने, तबादला करने व पट्टा आदि पर देने का भी पुर्ण अधिकार तथा क्षमता होगी।

यह कि उपरोक्त तबादला दोनो पक्षो को इस लिये करना पढा क्योंकि पहले जो रजिस्ट्री के वक्त ततीमें बने थे वह मौका पर उल्टे हो गये थे क्योंकि जिस ओर द्वितीय पक्ष ने भूमि खरीद की है वह प्रथम पक्ष के पास ही रह गया था।

यह कि उपरोक्त तबादला के मुताबिक आज के बाद दोनो पक्ष अपने-2 कब्जा में रहेगें, जिसका कब्जा भी दोनो पक्षो ने मुताबिक ततीमा के सौंप दिया है तथा इसी तबादले का ईन्द्राज कागजात माल में अमल करने के लिये पाबन्द रहेगें तथा हर प्रकार से अपने कब्जा वाली भूमि पर आबाद व काबिज रहेगें। कब्जा भी आपस मे दोनो पक्षो ने तबदील कर लिया है।

यह कि जो भी कार्यवाही तबादला का इन्तकाल करने व तबादला का ईन्द्राज कागजात माल में अमल करने की जिम्मेवारी दोनो पक्षो की होगी तथा दोनो ही पक्ष तबादला

Certified To Be A True Copy
Sub Registrar Kasauli
13/1/2015

उप-[illegible]
[illegible], [illegible] सोलन (हि.प्र.)
30/6/05

तफसील

Form No. 21.

152 2003

Himachal Government Judicial Paper

20

बही संख्या-I

इन्द्राजों की क्रम संख्या :—

मामले की मालियत और स्वरूप और रजिस्ट्री की रकम और अन्य शुल्क और प्राप्त हुआ तावान ।

नं0 दस्तावेज..............

दस्तावेज की किस्म..........

मूल्य..............

रजिस्ट्री फीस..........

फीस नकल..........

शब्दों की संख्या..........

फीस अनुवाद..........

फीस कमीशन..........

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने व तसदीकी करवाने के लिये पाबन्द रहेगें ।

यह कि केराता तबादला वाली भूमि का प्रयोग भी उसी कार्य में इस्तेमाल करेगा जिसके लिये भूमि खरीद करने की ईजाजत प्राप्त हुई है यानि अराजी पर औद्योगिक ईकाई ही स्थापित की जावेगी। जो भी शर्त परमीशन में द्वितीय पक्ष को दी गई है उसका पालन इस वसीका हजा में भी उसी अवस्था में कायम रहेगा, जिस अवस्था में बैयनामा विलेख में है ।

यह कि इस लिखित पर दोनो पक्षो के जाईज वारिस उत्तराधिकारी भी पाबन्द रहेगें ।

Certified To Be A True Copy

Sub Registrar Kasauli

13/11/2015

पंजीकृत

उप पंजीकार,
तहसील कसौली, जिला सोलन (हि.प्र.)
30/6/08

2
0
0
3

No.1627153 Himachal Government Judicial Paper

लिहाजा यह विलेख इकरार नामा दोनो पक्षो ने अपनी -2 मर्जी व अपने -2 होश हवास बिना किसी के जबर व दवाब रूबरु गवाहान के लिखा दिया ताकि बवक्ते जरूरत काम आवे । मजबून पढ़वा कर सुन व समझ लिया जो कि सून व समझ कर सही व दुरुस्त माना आज दिनांक:- 30 जून सन 2005

गवाह :-

1, CM Manak Lal
152 RPS Sheikh Sarai
N Delhi

प्रथम पक्ष

2, Naveen
s/o Mr. Chote Lal
Bhavigarh
Aligarh (U.P.)

द्वितीय पक्ष

शनाखत कर्ता

Jai Kishan
Member Gram Panchayat
Kasauli Garkhal.

घनश्याम शर्मा
वसीका नवीस कसौली.

Certified To Be A True Copy

Sub Registrar Kasauli
13/11/2015

प्रमाणित किया जाता है कि यह [illegible]
461 [illegible] 1 [illegible] 661
के पृष्ठ 15-22 [illegible] 30-6-05
को [illegible] प्रतिलिपि
[illegible]
के पृष्ठांक ...... से ...... तक चिपका दी
गई है।

उप पंजीकार,
तहसील कसौली, जिला सोलन (हि.प्र.)
28/6/05

नक्शा ततिमा खसरा मौजा [illegible] परगना [illegible] तहसील कसौली
जिला सोलन

पैमाना शाहजहांनी
40 कदम प्रति इंच
करम = 54"

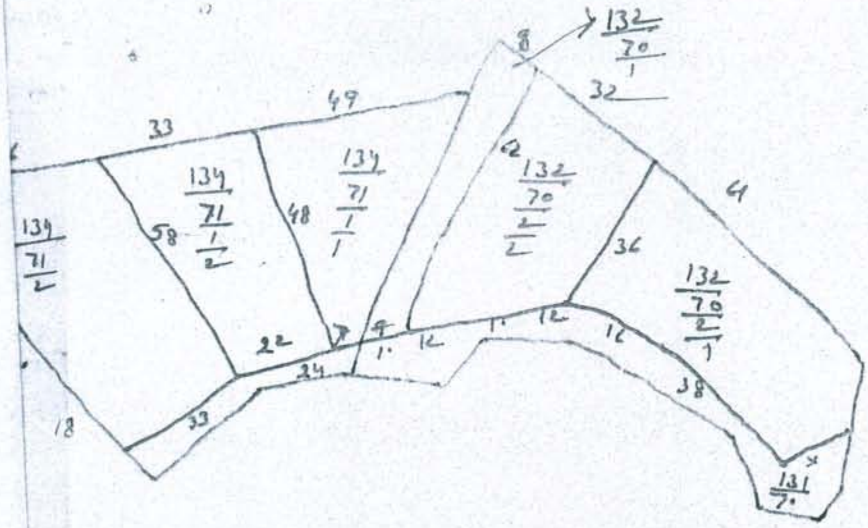

किस्म [illegible]

नं० खसरा साबिक	नम्बर खसरा हाल	[illegible]	रकबा
134/71/1	134/71/1/2	$= 63\frac{(24+16)}{2} = 1260 = 3-3$ बिघा	
"	134/71/1/1	$= 62\frac{(7+39)}{2} = 1426 = 3-11$ बिघा	
132/70/2	132/70/2/2	$= 63\frac{(27+13)}{2} = 1260 = 3-3$ बिघा	

बिघा [illegible]

नोट: [illegible] ततिमा [illegible] पटवारी हलका [illegible] 25/6/2005
पटवारी वृत कसौली जिला सोलन

Certified To Be A True Copy
Sub Registrar Kasauli
13/1/2015

औसत बैय रहन माला मौजा गाहा परगना बाहर तहसील कसौली मिति 1-6-2004 ता 31-5-2005 तक

नं. शुमार	नम्बर इन्तकाल	तारीख फैसला	कुहल अव्वल	कुहल दोम	बराङ अव्वल	बराङ दोम	बराङ सोम	बंजर कदीम	घासनी व गैरमुमकिन	कुल रकबा	माल	जरे समन/कीमत आदि
1	917	4-1-05	0—5	—	—	—	—	—	—	0—5	0-28	351565—00 कीमत आदि
2	919	12-5-05	—	—	—	—	—	0—17	0—1	0—18	0—08	90000—00 कीमत आदि
कुल योग	2 [illegible]		0—5	—	—	—	—	0—17	0—1	0—3	0—36	441565—00
परताल रकबा फि बिघा			1—25	0—94	0—62	0—44	0—19	0—09	0—03			1 पैसे 0 फि मरला 12265-19 पै
औसत प्रति बिस्वा			76660-56	57648-74	38023-64	26984-51	11652-40	5519-56	1839-86			
औसत प्रति बिघा			1533211-20	1152974-80	760472-78	539690-36	233048-11	11039-20	36797-07			

पटवारी,
वृत [illegible], जिला सोलन (हि.प्र.)
30/6/05

नोट:- मैं तसदीक करता हूं कि औसत बैय रहन माला [illegible] मौजा [illegible] मुताबिक [illegible] है [illegible] औसत [illegible] बैय व [illegible] ग्राम गाहा व [illegible] की गई है।
[illegible] 28/6/2005
पटवारी
पटवार वृत [illegible]
त० कसौली जिला [illegible]

Certified To Be A True Copy
Sub Registrar Kasauli
13/1/2015

001 मौजा शेवला नं० 127 परगना धारसल तहसील कसौली जिला सोलन

D.L. R. Form No. 8

तै ह म र द ला	नाम मालिक व ऐहवाल	नाम काश्तकार व ऐहवाल	नाम चाह व दीगर वसायल आबपाशी	नम्बर हाय खसरा	रकबा हर खेत व मिजान खाता मय किस्म अराजी		लगान जो मुजारा अदा करता है व तफसील शरह व तादाद	हिस्सा या पैमाना हकीयत व तरीका बाछ	मुतालबा व शरह मुआमला व हबूब	कैफियत
					बीघों में	मीट्रिक इकाईयों में				
	4	5	6	7	8		9	10	11	12
	रामेश्वरदास पुत्र सन्त पुत्र गुरप्रसाद साकन पटियाला	मकबूजा मालक		132/70 134/71 कित्ता 2	9—12 घासनी 11—14 घासनी 21—6 मैगनसमा घासनी				0—68 मय टबूब 0-51 0-20 मा. वबूल 0—41 मा. का. वबूल 0—10	नम्बर इन्तकाल 514 किस्म इन्तकाल बैय 515 बैय नोट:- बसैय इन्तकाल नम्बर 514 बैय द्वारा रामेश्वरदास मालिक ने खसरा नम्बर 132/70 तादादी 9-12 में से खसरा नम्बर 132/70/2 तादादी 8-3 बिघा हिमाचल इन्जीनियरिंग लीमि० द्वारा डारेक्टर श्री रिशीसेठ पुत्र ललित सेठ निवासी 35 सुन्दरनगर नई दिल्ली को बैय कर दिया है। और बैय का इन्तकाल मन्जूर हो चुका है। उक्त क्रेता ने उपरोक्त भूमि सरकार से अनुमति से खरीद की है। क्रेता कृषक की परिभाषा में नहीं आयेगा। मलकियती रहेगा। नोट:- बसैय इन्तकाल नम्बर 515 बैय द्वारा रामेश्वरदास मालिक ने खसरा नम्बर 132/70 तादादी 9-12 में से खसरा नम्बर 132/70/1 तादादी 1-9 बिघा व खसरा नम्बर 134/71 तादादी 11-14 में से खसरा खसरा नम्बर 134/71/1 तादादी 6-14 बिघा कुल कित्ता 2 रकबा तादादी 8-3 बिघा मैसर्ज एम० पी० सन्स प्रो० इन्डस्ट्रीज टैक्नोलोजीज प्रा० लिमी० द्वारा डारेक्टर गौतम सेठ पुत्र ललित सेठ निवासी 35 सुन्दरनगर नई दिल्ली को बैय कर दिया है और बैय का इन्तकाल मन्जूर हो चुका है। नोट उक्त क्रेता ने उपरोक्त भूमि सरकार की अनुमति से खरीद किया है। उक्त क्रेता भविष्य में कृषक की परिभाषा में नहीं आयेगा। मलकियती रहेगा। नोट उक्त रकबा S.A.D.A. के अन्तर्गत आता है।

नोट:- मैं तसदीक करता हूँ कि नकल जमाबन्दी मुताबिक रिकार्ड दुरुस्त है व पूरा दुरुस्त है।
पटवारी [illegible] 28/12/2005
पटवार वृत्त [illegible] उप० कसौली जिला सोलन

Certified To Be A True Copy
Sub Registrar Kasauli
13/1/2015

[illegible] हि० प्र० शिमला-1 [illegible] /2003—22-4-2003—7,10,000

HIMACHAL ENERGY PRIVATE LIMITED
Corporate Office : 1/21, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002.
Ph. 91- 11- 2323 4411, 2323 4811 Fax 91-11- 2323 2639
E-mail : hpl@hplindia.com

CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF HIMACHAL ENERGY PVT. LTD. IN THEIR MEETING HELD ON 25TH OF JUNE,05

Resolved that Mr. Parveen Adlakha Director of the Company be and is hereby authorised to sign all documents, deeds, appear before registrar/other authorities for registration/mutation and take such other necessary steps either himself or through his authorised power of attorneys for exchange of land situated at Village Shavela, Jabli (H.P.)

For Himachal Energy Pvt. Ltd.
Ssharma
Company Seretary

Certified To Be A True Copy
Sub Registrar Kasauli
13/1/2016

उप-पंजीकार,
तहसील कसौली, जिला सोलन (हि.प्र.)
28/6/05

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

५०रु. FIFTY RUPEES 50RS

दिल्ली DELHI 702742

POWER OF ATTORNEY

Know all the men by the present that Shri Rishi Seth, Director of **M/s HPL Protection Technologies Ltd.** having its Registered Office at 1/21, Atma Ram Mansion, 2nd Floor, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002 do hereby appoint, nominate and authorise **Shri C.G. Puri R/o Paschim Vihar, New Delhi** as our true and lawful Power of Attorney in respect of all the matters relating to Exchange of Land situated at Village Shavela, Jabli, Himachal Pradesh with Himachal Energy Pvt. Ltd. and for this purpose he is authorized to sign, register all Agreements, Deeds and execute any / all papers, represent, negotiate and any other matter relating to said purpose.

EXECUTANT

for HPL PROTECTION TECHNOLOGIfES LTD.

DIRECTOR

SPECIMEN SIGNATURE OF Mr. C.G. Puri attested

for HPL PROTECTION TECHNOLOGIES LTD.

DIRECTOR

Place : NEW DELHI
Date : 29/6/05

SEAL OF NOTARY

29 JUN 2005

E LG HTPL POA doc

Certified To Be A True Copy

Sub Registrar Kasauli
13/1/2015

संख्या: रैव–बी0ए0(10)–308/2003–भाग–2
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव(राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश।
दिनांक शिमला–171002

विषय: औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु सरकार की अनुमति से क्रय की गई भूमि का तबादला करने की अनुमति प्रदान करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय पत्र संख्या: पेशी/11–2330/03–कसौली, दिनांक 25–6–2005 के साथ प्राप्त प्रार्थी कम्पनी मै0 हिमाचल एनेर्जी प्रा0 लि0 व मै0 एच0पी0एल0 प्रोटैक्शन प्रा0 लि0 द्वारा सरकार की पूर्व अनुमति से औद्योगिक ईकाई स्थापित करने हेतु क्रय की गई भूमि के तबादला की अनुमति प्रदान करने के प्रकरण के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार द्वारा उक्त प्रकरण पर विचार करने के उपरान्त इस विभाग के पत्र संख्या: रैव0–बी0एफ0(10)–306/2003, दिनांक 20–10–2003 द्वारा मै0एच0पी0एल0 प्रोटैक्शन प्रा0 लि0 के पक्ष में भूमि खसरा संख्या: 132/70 व 134/71 रक्बा तादादी 08–03 वीघा स्थित मौजा शेवला, तहसील कसौली व पत्र संख्या: रैव0–बी0एफ0(10)–308/2003, दिनांक 20–10–03 द्वारा मै0 हिमाचल एनेर्जी प्रा0 लि0 के पक्ष में भूमि खसरा संख्या: 132/70 रक्बा तादादी 08–03 वीघा स्थित मौजा शेवला, तह0 कसौली, जिला सोलन को औद्योगिक ईकाई स्थापित करने प्रदान की गई अनुमति से सम्बन्धित भूमि में से मै0 हिमाचल एनेर्जी प्रा0 लि0 की भूमि खसरा संख्या: 132/70/2/2 रक्बा तादादी 3–03 वीघा का तबादला मै0 एच0पी0एल0 प्रोटैक्शन प्रा0 लि0 की भूमि खसरा संख्या: 134/71/1/2 रक्बा तादादी 3–03 वीघा के साथ तबादला करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस विभाग के उक्त पत्रों में दर्शाई गई अन्य शर्तें अपरिवर्तित मानी जायेंगी।

भवदीय,

उप सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या यथोपरि दिनांक शिमला–171002 24-6-05
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1. मै0 हिमाचल एनेर्जी प्रा0 लि0, तथा मै0 एच0पी0एल0 प्रोटैक्शन प्रा0 लि0 बजरिया श्री वी0जी0पुरी, 1/21 आरिफ अली रोड, नई दिल्ली।
2. निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश को इस विभाग के उक्त पत्रों के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

उप सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Certified To Be A True Copy

Sub Registrar Kasauli
13/1/2015